दिनांक 06.12.2017 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में सभी संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ आयोजित विडियों कॉन्फ्रेंस की कार्यवाही।

1. **विभिन्न योजनाओं अंतर्गत निकासी की स्थिति :–**

दिनांक 25.11.2017 को आयोजित राज्य स्तरीय मासिक बैठक में सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया था कि दिनांक 30.11.2017 तक प्रत्येक जिला कम से कम 30 प्रतिशत राशि की निकासी कर लें। फिर भी समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राशि की निकासी एवं कोषागार में लम्बित विपत्र को मिलाकर अभी तक पूर्वी चम्पारण, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, नालन्दा, नवादा, पटना, रोहतास, शेखपुरा एवं वैशाली को छोड़कर शेष सभी जिलों की उपलब्धि 30 प्रतिशत से कम है। अररिया, अरवल, सुपौल, भागलपुर, दरभंगा एवं कैमूर की उपलब्धि 20 प्रतिशत से भी कम है।

जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल द्वारा बताया गया कि उनके जिला में अभी तक 70 लाख रू0 की निकासी हुई है तथा 162.34 लाख रू0 का विपत्र कोषागार में भेजा गया है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को खरीफ में व्यय की गई राशि की अविलम्ब पूर्ण निकासी करने तथा रब्बी में किये जा रहे कार्यो का विपत्र प्रति सप्ताह कोषागार में भेजकर राशि की निकासी करने का निदेश दिया गया।

(अनु0– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :–**

2.1 बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि रा0खा0सु0मि0 वर्ष 2015–16 का लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभी तक मात्र 12 जिलों यथा–नालन्दा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, गया, सिवान, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, कटिहार एवं मुंगेर का समायोजन हेतु महालेखाकार को समर्पित कर दिया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज, सीतामढ़ी, खगड़िया एवं जहानाबाद का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभागीय पदाधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर हेतु समर्पित किया गया है।

जिला कृषि पदाधिकारी, पटना एवं सारण द्वारा बताया गया कि आज उपयोगिता प्रमाण–पत्र जामा कर दिया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल, मधेपुरा, वैशाली, किशनगंज को सुधार कर एवं सही रूप से तैयार कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने का निदेश दिया गया है। बार–बार दिये गये निदेश के बावजूद भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद, अररिया, रोहतास, पश्चिम चम्पारण, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, बक्सर, अरवल, नवादा, शिवहर, जमुई, शेखपुरा एवं बांका का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभी तक अप्राप्त है।

(अनु0–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

2.2 जिला कृषि पदाधिकारी पश्चिम चम्पारण एवं बेगुसराय द्वारा सूचित किया गया कि उनके जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की राशि की निकासी में कोई समस्या नहीं है।

2.3 निदेश दिया गया कि जिन जिलों का वित्तीय वर्ष 2015–16 का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार को भेजा जा चुका है उन जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की राशि की निकासी हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाय।

(अनु0–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

2.4 वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत समेकित उपलब्धि बांका जिला में 54 प्रतिशत प्राप्त की गई है। शेष जिलों में 50 प्रतिशत से कम उपलब्धि प्राप्त की गयी है। भोजपुर, नालन्दा, नवादा, खगड़िया, जमुई, भभुआ, मुंगेर, पूर्णिया, लखीसराय, कटिहार, अरवल एवं शिवहर जिलों की उपलब्धि 10 प्रतिशत से भी कम है। निदेश दिया गया कि सभी जिलों में समेकित उपलब्धि 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।

3. **राज्य योजना अन्तर्गत जिरोटिलेज से गेहूँ प्रत्यक्षण** :– इस योजना का प्रगति प्रतिवेदन मात्र भोजपुर, मधेपुरा, अररिया, गया, सीतामढ़ी, लखीसराय, किशनगंज, जहानाबाद, जमुई, बांका से प्राप्त हुआ है शेष जिलों से प्रतिवेदन अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि प्रगति प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

4. <u>धान की सामुदायिक नर्सरी विकास योजना :–</u> सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को भौतिक उपलब्धि के विरूद्ध राशि की निकासी कर अविलम्ब कृषकों को उपलब्ध कराने तथा उपलब्धि प्रतिवेदन Google.docs पर अपलोड करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

5. <u>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–</u> इस योजना अन्तर्गत अभी तक अरवल, भागलपुर, गोपालगंज, सुपौल एवं किशनगंज जिलों में कोषागार से निकासी शून्य है। प्रभारी पदाधिकारी, रा0कृ0वि0यो0 को शून्य निकासी वाले जिलों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनु0–प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना)

6. <u>जैविक उर्वरक प्रोत्साहन कार्यक्रम</u> :– इस योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 12977.00 लाख रू0 के विरूद्ध अभी तक 2902.22 लाख रू0 की निकासी हुई है। अभी तक 13 जिलों यथाः–बक्सर, रोहतास, अरवल, सारण , गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, अररिया एवं कटिहार जिलों में निकासी शून्य है। निदेश दिया गया कि विभिन्न घटकों में किये गये कार्य के विरूद्ध अविलम्ब राशि की निकासी की जाय एवं सभी जिला 15 दिसम्बर, 2017 तक 35 प्रतिशत राशि की निकासी करना सुनिश्चित करें। अन्यथा इन जिलों से स्पष्टीकरण पूछा जायेगा।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

7. <u>कृषि यांत्रिकीकरण :–</u>

7.1 इस योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 18000.00 लाख रू0 के विरूद्ध अभी तक मात्र 201.34 लाख रू0 की निकासी हुई है। 19 जिलों यथा–सुपौल, सारण, रोहतास, पटना, शिवहर, नवादा, मुंगेर, मधेपुरा, कटिहार, खगड़िया, जहानाबाद, जमुई, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, भागलपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद एवं अररिया में अभी तक निकासी शून्य है। निदेश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह जितना विपत्र तैयार हो जाता है , उसे कोषागार में भेजकर अनुदान की राशि की निकासी की जाय।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

7.2 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ऑन–लाईन प्राप्त आवेदन पत्र की संख्या अभी भी अरवल, शिवहर, मुंगेर, खगड़िया, दरभंगा, मधेपुरा, किशनगंज, लखीसराय, जमुई एवं औरंगाबाद में संतोषजनक नहीं है। निदेश दिया गया कि किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयकों को कृषकों के पास भेजकर ऑन लाईन आवेदन अधिक से अधिक प्राप्त किया जाय।

(अनु0–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

7.3 एस0एम0ए0एम0 योजनान्तर्गत कस्टम हायरिंग से सम्बंधित प्रतिवेदन Google.docs पर मात्र मधुबनी, वैशाली, गया, गोपालगंज, जमुई, भोजपुर, मधेपुरा, कैमूर, सिवान, कटिहार, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, मुंगेर द्वारा अपलोड किया गया है। शेष जिलों को अविलम्ब Google.docs पर अद्यतन प्रतिवेदन अपलोड करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

7.4 एस0एम0ए0एम0 योजना 2015–16 के अव्यवहृत राशि जो बामेती द्वारा विगत वित्तीय वर्ष में वापस कर ली गई थी, उसे पुनः सम्बंधित जिलों को उपलब्ध कराने सम्बंधी आदेश पत्रांक 7157 दिनांक 04.12.2017 से बामेती को दिया गया है। उक्त अव्यवहृत राशि को व्यय करने हेतु पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्राप्त करे का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

8. <u>वर्षाश्रित क्षेत्र विकास योजना (आर0ए0डी0) :–</u> **सूचित किया गया कि** वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत योजना का प्रगति प्रतिवेदन बांका, गया एवं जमुई से अप्राप्त है। इसे अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

9. <u>बीज :–</u> समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बी0आर0बी0एन0 से बीज का उठाव की स्थिति संतोषजनक नहीं है। बी0आर0बी0एन0 के पास गेहूँ का 40,000 क्वीं0 बीज उपलब्ध है। निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम एवं बीज ग्राम योजना हेतु गेहूँ बीज का उठाव सात दिनों के अन्दर कर लिया जाय।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

10. <u>उर्वरक क्षेत्र में DBT/PoS योजना</u>

10.1 उर्वरक क्षेत्र में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर/पॉइंट ऑफ सेल योजना की समीक्षा के क्रम में अनुश्रवण पदाधिकारी श्री अशोक प्रसाद द्वारा बताया गया कि विडियो कॉन्फेंस की समीक्षा हेतु DBT Cell को एजेंडा का विंदुवार प्रतिवेदन जिलों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के एजेंडा का विन्दुवार प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करे। सभी जिलों को निदेशित किया गया कि राज्य स्तरीय बैठक या विडियो कॉन्फेरेंस की बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन (ATR), निदेशालय को उपलब्ध कराने की परिपाटी की शुरूआत करें।

(अनु0–आईटी मैनेजर, सभी प्रोगाम पदाधिकारी, सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

10.2 समीक्षा के क्रम में पुनः स्मरित कराया गया कि 01.01.2018 से पुरे राज्य में उर्वरक क्षेत्र में DBT/PoS योजना लागू हो जायेगी। केंद्रीय संबद्ध एजेंसी द्वारा बिहार राज्य में आवश्यकता से लगभग 2500 कम PoS मशीन उपलब्ध कराया गया है, जिस कारण से शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार एवं नालंदा जिले में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विलंब हो रही है। जिस पर प्रधान सचिव द्वारा LFS/NFL के राज्य प्रबंधक को निदेशित किया गया कि सभी जिलों में PoS मशीन की उपलब्धता की समीक्षा कर लें, जिस जिला में आवश्यकता से अधिक है, उस जिला के नामित नोडल आपूर्तिकर्त्ता कंपनी से समन्वय स्थापित कर PoS मशीन को Reallocate कराना सुनिश्चित करें। Reallocation के अतिरिक्त, उन जिलों में भी मशीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिस जिले में मशीन पहुचना शेष है। तथा जिस जिले में PoS मशीन की Replacement की आवश्यकता हो, उसे यथाशीघ्र Replace कराया जाये।

(अनु0–राज्य प्रबंधक, LFS/सभी उर्वरक कंपनी)

10.3 भारत सरकार, उर्वरक मंत्रालय के mFMS वेबसाईट के आंकडों के अनुसार PoS मशीन के वितरण में Poor Performing जिले का नाम इस प्रकार है– भोजपुर, अररिया, बक्सर, रोहतास, अरवल, जमुई, पटना, मुंगेर, सुपौल एवं नवादा। प्रधान सचिव द्वारा इन जिलों के प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को निदेशित किया गया कि संबंधित जिला भ्रमण कर कार्य की प्रगति की समीक्षा करें। मगध एवं पटना प्रमंडल के संयुक्त निदेशक (शष्य) को निदेशित किया गया कि क्रमशः जहानाबाद एवं भोजपुर जिला की उक्त कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा प्रतिवेदन दो दिनों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनु0–सभी संयुक्त निदेशक(शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारी)

10.4भारत सरकार, उर्वरक मंत्रालय के mFMS वेबसाईट के आंकड़ों के अनुसार PoS मशीन के Functional की उपलब्धि में कई जिलों का परफॉरमेंस चिंताजनक है, उन जिलों का नाम इस प्रकार है–मधेपुरा, सहरसा, बांका, दरभंगा, जमुई, भागलपुर, पूर्णिया, सिवान मुंगेर, लखीसराय, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण एवं गोपालगंज। प्रधान सचिव द्वारा Poor Performing जिलों के